अध्याय- V

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

5.1 भारतीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुविधाकरण में सुधार और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केन्द्रीत करने के साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन),(एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एफटीपी 2015-2020 अधिसूचित की हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एफटीपी बनाने के लिए उत्तरदायी है, जो डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओंको निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

(i) **भारत से निर्यात योजनाएं:** इनका उद्देश्य निर्यातकों को अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और शामिल संबद्ध लागतों को ऑफसेट करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। इस श्रेणी के अंतर्गत दो प्रमुख योजनाएं मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एसईआईएस) हैं।

(ii) **शुल्क छूट और छूट योजनाएं:** ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत वस्तुओं और अन्य इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात या रियायती दरों पर आयात या निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए करों और शुल्कों में शुल्क छूट उपलब्ध कराती हैं। अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण तथा ड्रॉबैक शुल्क इस श्रेणी के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएं है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु शून्य रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु सुविधा प्रदान करती है।

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को स्क्रिप जारी करता है और 38 क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों (आरएलए) के नेटवर्क के माध्यम से अपने संबंधित दायित्वों के निगरानी करता है। सभी 38 आरएलए कंप्यूटरीकृत हैं और डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिपों के अंतर्गत आयातों को विनियमित करने के लिए सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और इन स्क्रिपों को आयुक्तों के अधीन सीमा शुल्क गृह में संबंधित निर्यातक द्वारा पंजीकृत किया जाना होता है। निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत आदानों और पूंजीगत वस्तुओं का आयात पूरी तरह से या आंशिक रूप से सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वों को पूरा करने के (ईओ) साथ विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने का कार्य करते हैं-साथ, जिसके पूरा न करने के कारण शुल्क में छूट प्राप्त सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाता है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर एफटीडीआर अधिनियम 1992 के तहत डीजीएफटी द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई करने के अधीन है।

विदेश व्यापार नीति के अध्याय **3** के अंतर्गत कतिपय अन्य स्कीमों के संबंध में**,** अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबद्ध लागतों की भरपाई करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में निर्यातके एफओबी मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

5.2 निर्यात दायित्व को पूरा न करने के संबंध में लगातार अनियमितता

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर उनकी प्रतिक्रिया के लिए लेखापरीक्षा इकाइयों को निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) के माध्यम से चिन्हित किया जाता है।

इन वर्षों में, लेखापरीक्षा में अग्रिम प्राधिकरण और अन्य योजनाओं जैसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के लाइसेंस धारकों द्वारा निर्धारित निर्यात दायित्वों को पूरा न किए जाने के आवर्ती मामलें पाए गए है।एक बार की कार्रवाई के रूप में, ऐसे सभी मामलों में वर्ष 2000 से 2017 के दौरान अनुपालन

लेखापरीक्षा में 22[49] आरएलए और पांच सीमा शुल्क कमिश्नरों, जहां विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी, समेकित किया गया और 1043 पैरा में यह देखा गया था कि अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत जारी लगभग 3000 लाइसेंस के मामले शामिल हैं जिनमे निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया गया था, इनमें लाइसेंस धारकों द्वारा छूट और अन्य कर लाभों के रूप में लाभ उठाने वाले ₹ 4205 करोड़ रुपये के राजस्व निहितार्थ था।

तथापि, न तो आरएलए और न ही सीमा शुल्क कमिश्नरी ने शुल्क वसूली से बची ₹ 4205 करोड़ की बची हुई राशि के लिए लाइसेंस धारकों के प्रति उनके द्वारा शुरू की गई किसी वसूली कार्रवाई की जांच करने की सूचना दी थी, न ही लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा अवधि में इस राशि पर इन मामलों की स्थिति की सूचना दी गई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (अक्टूबर 2018) और राजस्व विभाग (अक्टूबर 2018) को इस बारे में बताया गया।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने सूचित किए गए निर्यात दायित्वों के पूर्ण न किए जाने के अधिकांश मामलों को स्वीकार (मई 2019) करते हुए सूचित किया कि एससीएन/शुल्क मांग की पुष्टी करने और वसूली कार्रवाई /मांग पत्रों को जारी कर दिया है।कुछ मामलों में डीओआरने बताया कि उनके पास सीमा शुल्क में प्राधिकरण के पंजीकरण से सम्बंधित विवरण नहीं था और उसने डीजीएफटीसे लाइसेंस विवरण मंगाए है।तथापि, डीओआर ने चूककर्ता मामलों को आगे बढ़ाने के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार न करते हुए सूचित किया है कि निष्पादन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए अनुदेश परिपत्र (जनवरी 2011/अक्टूबर 2016) में जारी किए गए है।

---

[49]आरएलए: वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलुरु, पानीपत, अमृतसर, चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर, पुडुचेरी, मदुरै, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कटक, कोलकाता, वाराणसी, मुरादाबाद, देहरादून, कानपुर, मुंबई, सूरत और पुणे।
कमिश्नरेट: सिक्का, आईसीडी बेंगलुरु, एसीसी बेंगलुरु, चेन्नई समुद्र और सीमा शुल्क (पी) नौतनवास

तथ्य यह है कि निर्देश जारी करने के बावजूद भी, सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं ने ईओ अवधि से तीन महीने बीत जाने के बाद भी वूसली कार्रवाई आरंभ नहीं की जैसाकि आयात अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट है जिसके लिए लाइसेंस धारकों ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों को ब्रैंड/प्रतिभूति/जमानत प्रस्तुत की थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 219 मामलों में ईओ के पूर्ण न किए जाने को स्वीकार किया और कहा कि इनमें कारण बताओं/मांग नोटिस जारी किए जा चुके है। अन्य 215 मामलों में मंत्रालय ने कहा कि निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) ईओ के पूर्ण होने पर आयातकों को पहले ही जारी किए जा चुके थे। यद्यपि ईओडीसी के विवरण लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि 148 मामले जांच के अधीन है। शेष मामलों में, मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.3 निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूर्ण करने में कमियां

विनिर्माण क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु, पूंजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत विदेश व्यापार योजना, शून्य या शुल्क के रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात को अनुमत करती है। इस बदले में, योजना का लाभ ले रहे निर्यातकों/विनिर्माताओं पर आयातित पूंजीगत वस्तुओं से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर छूट प्राप्त आयात शुल्क का छह/आठ गुना[50]निर्यात दायित्व लगाया जाता है। निर्यात दायित्व प्राधिकार जारी होने की तिथि से छह/आठ वर्षों[51]की अवधि में पूर्ण किए जाने चाहिए। ऐसे आयातों पर अनुमत शुल्कों पर छूट से राजस्व का लोप होता है, जो सरकार को प्राप्त होना चाहिए होता है। ईओ की पूर्णता में चूक होने पर, लाईसेंस धारक को विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ ईओ की अपूर्ण राशि के अनुपात में शूल्क वापस करना होगा।

[50]निर्यात दायित्व शून्य शुल्क पर आयात के मामले में छह गुना और रियायती 3% शुल्क के मामले में बचत की गई शुल्क का आठ गुना है

[51]शून्य शुल्क और 3% रियायती दर के लिए क्रमशः

डीजीएफटी सशर्त लाईसेंस जारी करता है जो यथानिर्दिष्ट बॉन्ड और बैंक गारंटी के साथ विशिष्ट सीमा शुल्क पत्तन पर पंजीकृत होने हैं। डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 2017-18 के दौरान रियायती शुल्क और प्रोत्साहन द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से कुल ₹ 41,477 करोड़ के राजस्व का लोप हुआ। तीन प्रमुख निर्यात निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं ईपीसीजी योजना में लोप हुए कुल राजस्व का 91 प्रतिशत (₹ 38,010 करोड़) भाग शामिल था। ईपीसीजी योजना लाईसेंस धारकों द्वारा कई प्रणालीगत कमियों के साथ ईओ पूर्ण न किए जाने का मामला वर्ष 2011 (2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं0 22) में प्रस्तुत पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में पहले ही उठाया जा चुका है। सीएजी ने, अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित विभागों नामत: डीजीएफटी और सीमा शुल्क समन्वय और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की सिफारिश की जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ईपीसीजी लाईसेंस के लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन में कमियां नियमित रूप से देखी गई, जिन्हें इस रिपोर्ट के पैरा 5.2 के अंतर्गत सूचित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने 2017-18 के दौरान शोधन हेतु लंबित ईपीसीजी लाईसेंस की समीक्षा तीन आरएलए[52], से चयनित नमूना फाईलों के आधार पर किया, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक मुद्दे पर बार-बार टिप्पणियां की गई हैं।ईपीसीजी लाईसेंस समीक्षा के निष्कर्षो की नीचे दीर्घ पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.3.1 वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 17,037 करोड़ के सीआईएफ मूल्य और ₹1,38,440 करोड़ के मूल्य के निर्यात वस्तुओं के दायित्व के साथ 19931 ईपीसीजी लाईसेंस जारी किए गए। वर्ष 2008-09 के दौरान आरएलए मुम्बई, गोवा और पूणे से 22 प्रतिशत लाईसेंस जारी किए।

तदनुरूप, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तीन आरएलए द्वारा लाईसेंस के नमूनों की जांच की गई:-

(i) अपर डीजीएफटी, मुबंई,

(ii) संयुक्त डीजीएफटी, पूणे, तथा

[52]अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई, संयुक्त डीजीएफटी, पुणे और डिप्टीडीजीएफटी, गोवा

(iii) उप डीजीएफटी, गोवा

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2008-09 के दौरान जारी 688 लाईसेंस के एक नमूने का चयन किया जो 31 मार्च 2017 तक ऋणमुक्ति हेतु देय थे। कुछ लाईसेंस जो पूर्ववती अवधि में जारी हुए थे लेकिन शोधन हेतु लंबित थे, उनका चयन भी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए गए 688 लाईसेंस मामलों में से लेखापरीक्षा हेतु 626 मामले फाईल उपलब्ध कराए गए जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया:

तालिका सं.5.1

क्र.सं.	आरएलए	वितीय वर्ष	जारी लाईसेंस	क्रेडिट शुल्क	चयनित संख्या	प्रस्तुत सं0 और लेखापरीक्षित	क्रेडिट शुल्क (करोड़₹)
1	अपर डीजीएफटी, मुम्बई	2008-09	3042	5205	444	404	2224
2.	संयुक्त डीजीएफटी, पूणे	2008-09	857	542	176	157	348
3.	उप डीजीएफटी गोवा	2005-06 से 2008-09	567	160	68	65	72
			4466	**5907**	**688**	**626**	**2644**

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.3.2 लाईसेंस धारकों द्वारा निर्यात दायित्व पूरे न करने के बावजूद प्राप्त शुल्क लाभ की वसूली के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई न किया जाना

एफटीपी के पैरा 5.2 के अनुसार, लाईसेंस जारी किये जाने की तिथि से आठ वर्षों में ब्लॉक वार प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत माल के निर्यात पर बचाई गई शुल्क के आठ गुणा के समान इओ की प्राप्ति के अंतर्गत शुल्क की 3 प्रतिशत दर पर पूंजीगत माल का आयात अनुमत किया गया था। लाईसेंस धारक द्वारा 1 से 6 वर्षों के ब्लॉक में 50 प्रतिशत तक और 7 से आठ वर्षों के ब्लॉक में 50 प्रतिशत शेष तक इओ का पूरा किया जाना अपेक्षित है। लाइसेंस धारक की ओर से प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक इओ के ब्लॉक-वार भरे जाने पर एक प्रगति रिपोर्ट संबंधित आरएलए को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आठ वर्षों की इओ अवधि के पूरा होने पर, लाईसेंस के शोधन हेतु निर्दिष्ट ईओ की पूर्णता के संबंध में लाईसेंसधारी द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित

है। आयातक लाईसेंस जारी करने की तिथि से प्रत्येक ब्लॉक के समाप्त होने से 30 दिनों के अंदर पूर्ण किए गए इओ की सीमा दर्शाते हुए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रमाण प्रस्तुत करता है

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण धारक को संबंधित आरएलए को आयात की पूर्णता से छः महीनों के अंदर पूंजीगत माल के संस्थापन की पुष्टि करते हुए प्राधिकरण धारक के विकल्प पर क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयातक लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने के लिए स्वयं को बाध्य करने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारी को ब्रांड/सुरक्षा/जमानत प्रस्तुत करता है जिसमें आयातित पूंजीगत वस्तुएं इंस्टाल करना और निर्धारित ईओ की पूर्ति शामिल है। यदि लाइसेंस के निर्यात दायित्व या शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है**,** तो आयातक उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन महीने के भीतर ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा।

लाइसेंस फाइलों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद विभाग ने 173 मामलों में मांग नोटिस जारी नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, जहां आयातकों ने निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 60 मामलों में मांग नोटिसों का उत्तर नहीं दिया था वहां विभाग ने एससीएन जारी नहीं किया। कुछ निदर्शी मामलों के नीचे दी गए हैं:

i. **पवन टरबाइन जनरेटर के निर्यात के लिए ईपीसीजी:** आर एल ए, मुम्बई ने वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान एक आयातक को दो ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए थे जिसमें क्रमशः ₹ 47.45 लाख और ₹ 1.26 करोड़ रुपये की शुल्क की बचत की गई थी। ईओ की अवधि मार्च और मई 2016 में समाप्त हो गई और निर्यात का विवरण दर्ज करने के लिए तीन महीने का समय भी समाप्त हो गया था। लाइसेंस फाइलों की जांच करने पर यह पाया गया कि लाइसेंस धारक ने निर्यात वस्तुओं अर्थात पवन टरबाइन जनरेटर और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था। तथापि, लाइसेंस की किसी भी शर्त के लिए आयातक द्वारा अनुपालन के संबंध में फाइलों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जैसे की आयात पूरा होने की तारीख से छह माह के भीतर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, ईओ पूर्ति पर

वार्षिक रिपोर्ट, ब्लॉक ईओ आदि की ब्लॉक-वार उपलब्धि आदि। लेखापरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि विभाग ने निर्धारित ईओ की गैर-पूर्णता की रिपोर्ट देने के लिए दंडात्मक कोई कार्रवाई की या सीमा शुल्क विभाग के साथ समन्वय किया।

इसके अतिरिक्त, आरएलए, मुम्बई की ईडीआई प्रणाली की जांच से पता चला कि विभाग ने अप्रैल, 2008/फरवरी, 2009 की अवधि के दौरान आयातक को अन्य 28 लाइसेंस जारी किए थे जिसमें ₹6.12 करोड़ रुपए की शुल्क बचत राशि शामिल थी। इन सभी लाइसेंसों में आयातक ने संस्थापना प्रमाण पत्र और अन्य निष्पादन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, इसके बावजूद डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह बताने पर (फरवरी 2018), आरएलएने लाइसेंस धारक को नोटिस (अप्रैल 2018) जारी किया। डीजीएफ़टी, नई दिल्ली का उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2019)

राजस्व विभाग (डीओआर), सीबीआईसी ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि 14 मामलों में एससीएन/मांगों की पुष्टि कर दी गई है और शेष 16 मामलों में सीमा शुल्क के पास प्राधिकारों के पंजीकरण विवरण नहीं है, जो डीजीएफटी से मांगा गया है।

ii. **स्मार्ट कार्ड और सहायक उपकरण के निर्यात के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ईपीसीजी:**

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान आरएलए, पुणे ने एक आयातकर्ता को ईपीसीजी प्राधिकरण जारी किया था, जिसमें आठ वर्षों की अवधि के भीतर ₹ 8.86 करोड़ की निर्यात वस्तुओं अर्थात स्मार्ट कार्ड और सहायक उपस्करों के निर्यात में ₹ 1.10 करोड़ की शुल्क बचतभी शामिल थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन मामलों में आयातक ने लाइसेंस की शर्तों अर्थात संस्थापना प्रमाण पत्र, ईओ की ब्लॉकवार उपलब्धि, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुपालन नहीं किया और विभाग ने न तो चूककर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई की और न ही सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया था।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली से यह पाया गया है कि वित्त वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान आरएलए, पुणे द्वारा ₹ 6.99 करोड़ की शुल्क बचत सहित अन्य 7 लाइसेंस जारी किए गए थे। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन मामलों में भी आयातक ने लाइसेंस की शर्तों अर्थात संस्थापना प्रमाण पत्र, ईओ की ब्लॉकवार उपलब्धि, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुपालन नहीं किया और विभाग ने न तो चूककर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई की और न ही सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया था।

यह बताने पर (जुलाई 2017) आरएलए ने (जुलाई 2017) ने मांग सह एससीएन जारी किये जाने की सूचना दी।

iii. **खुदरा काउंटर बिक्री के माध्यम से निर्यात दायित्व पूरा नहीं करना:**

वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि के दौरान आरएलए, मुम्बई ने एक आयातक को 14 लाइसेंस जारी किए जिसमे जिसमें ₹ 85.80 करोड़ के निर्यात दायित्व के साथ ₹ 10.73 करोड़ रुपए की शुल्क रियायतें शामिल थीं।नमूना जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक ने शुल्कों की रियायत दर पर फिक्चर, पॉलिस की हुई टाइलों, एचडीएमआई स्पिलटर, केबल आदि, जैसे सामान आयात किए थे और ईओ को विदेशी मुद्रा में खुदरा काउंटर विक्रयों के द्वारा इसे पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। तथापि, आठ वर्षों की संपूर्ण अवधि के दौरान आयातक ने लाइसेंस की किसी भी शर्ते का अनुपालन नहीं किया। विभाग द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यद्यपि सभी चौदह लाइसेंस (2016-17) में ईओ की अवधि समाप्त हो गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आरएलए ने मार्च 2018 को माँग नोटिस जारी किया था, जिसमें आयातक ने बताया कि निर्यात दायित्व में छूट प्राप्त करने के लिए ईपीसीजी समिति, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

यह स्पष्ट है कि आयातक ने आठ वर्षों की संपूर्ण अवधि के दौरान शर्तों का अनुपालन नहीं किया, और केवल लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए नोटिस प्राप्त करने पर, ईओ में छूट हेतु ईपीसीजी समिति से संपर्क करने का प्रयास किया थ।

IV. **होटल और पर्यटन सेवाओं हेतु निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया जाना:** पाँच सितारा होटल को चलाने में लगे हुए एक लाइसेंस धारक को आरएलए,

पूणे द्वारा ₹ 4.08 करोड़ की बचाई गई शुल्क राशि के साथ वि.व. 2008-09 के दौरान आठ लाइसेंस जारी किए गए थे। वर्ष-वार ईओ की पूर्ति के विवरण से पता चला कि आठ लाइसेंस में केवल 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत निर्यात दायित्व की पूर्ति की गई। आरएलए ने ब्लॉक-अनुसार ईओ की पूर्ति नहीं होने पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की, यद्यपि मार्च 2017 तक सभी लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो चुकी थी और ईओ अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तार की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार ₹ 2.59 करोड़ का समानुपातिक शुल्क वसूली योग्य था।

V. **ईपीसीजी के अंतर्गत मर्सिडीज बेंज का आयात:** एक होटल और पर्यटन सेवा प्रदाता को अपने होटल उद्योग हेतु मर्सिडीज बेंज कार का आयात करने के लिए आरएलए, गोवा के द्वारा एक लाइसेंस (जनवरी 2007) जारी किया गया था। हालांकि, पर्यटन वाहन के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वाहन की मूलभूत शर्तों को अभी तक पूरा नही किया गया था। सात वर्षों के विलंब के बाद एससीएन जारी किया गया था परन्तु लाइसेंस धारक को भेजा नहीं जा सका क्योंकि उस समय तक होटल बंद हो चुका था। विभाग ने लाइसेंस धारक का पता लगाने और लाइसेंसधारी के लिए विस्तारित ₹ 24.53 लाख के रियायत शुल्क की वसूली करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से समन्वय करने अथवा कोई दूसरा रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया था।

VI. **ईओयू से अवैध निर्यात के माध्यम से एक आभूषण इकाई के निर्यात दायित्व को पूरा करना:** आरएलए,मुम्बई द्वारा ₹1.98 करोड़ की बचाई गई शुल्क संचित राशि के साथ एक आभूषण इकाई के लिए चौदह लाइसेंस जारी किए गए, आयातक ने 12 लाइसेंस में निर्यात निष्पादन प्रस्तुत किया था, जिसके लिए विभाग ने अक्टूबर 2012 और मार्च 2016 के बीच कमीपूरक पत्र जारी किए चूंकि लाइसेंसधारी ने अवैध निर्यात अर्थात निर्यात निष्पादन में ईओयू इकाईयों से निर्यातों को शामिल किया था। हालांकि, लाइसेंसधारी ने आरएलए के कमीपूरक पत्र का उत्तर नहीं दिया, परन्तु विभाग द्वारा एससीएन जारी करके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नमूना जांच किए गए मामलों में, लेखपरीक्षा में पाया गया कि आरएलए या तो सर्तकता पत्र जारी करने में या शुल्क वूसलने के लिए किसी भी प्रकार की अन्य पूर्व-प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे थे, जैसा कि लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर एचबीपी खंड 1 के पैरा 5.17 में निर्धरित किया गया था। लेखापरीक्षा में ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि आरएलए के पास संस्थापन

के प्रामाणीकरण की प्राप्ति का पता लगाने के लिए कोई तंत्र, वर्ष-वार निर्यात निष्पादन रिपोर्ट, और ईओ को पूरा करने में ब्लॉक-वार चूक का पता लगाने के लिए कोई अनुवर्ती तंत्र था। डीजीएफटी, ईडीआई प्रणाली सीमा-शुल्क विभाग से नियमित आधार पर लाइसेंस-वार निष्पादन प्राप्त करने या ब्लॉक-वार ईओ की प्राप्ति नहीं होने के संबंध में किसी भी चेतावनी के लिए सक्षम नहीं थी। डीजीएफटी प्राधिकारी प्रणाली के तहत लाइसेंस छुड़ाने के लिए साक्ष्य को अभी भी मानवकृत रूप से प्रस्तुत करने पर निर्भर थे।

इस ओर इंगित करने पर (जुलाई 2017 से मार्च 2018), संबंधित आरएलए ने ₹ 219.73 करोड़ के शुल्क को शामिल करते हुए 165 मामलों में मांग नोटिस या एससीएन जारी करने के विषय में (जुलाई/अप्रैल 2018) बताया था। डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.3.3 अनुचित विदेशी मुद्रा उपार्जन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को छुड़ाना

ईपीसीजी योजना के एफटीपी पैराग्राफ 5.3 एवं 5.5 जिसको होटल और रेस्तरां (कैटरिंग उद्योग सहित) सेवा प्रदाताओं के लिए भी विस्तारित किया गया है, जहां विदेशी आंगतुकों को प्रदान की जाने वाली होटल और रेस्तंरा सेवाओं से विदेशी मुद्रा उपार्जन से ईओ की पूर्ति की जानी है। एफटीपी के पैराग्राफ 9.5.3 (ii) के अनुसार ''सेवा प्रदाता'' में भारत से किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता के लिए भारत से सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति शामिल है। प्राधिकृत सेवाओं[53] से अर्जित विदेशी मुद्रा को ही ईओ के लिए संगणित किया जाएगा। केवल मुद्रा विनियम सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा को ईओ के लिए संगणना नहीं की जाती है।

आरएएल, पूणे ने दो लासेंसधारक को जारी किए गए चौदह ईपीसीजी लाइसेंसों को छुड़ाने की अनुमति दी गई थी, जो पूणे में होटल एवं रेस्तरा उद्योग में लगे हुए थे। निर्यात दायित्व को विदेशी आंगतुकों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोर्ड से अर्जित विदेशी मुद्रा एवं आंशिक रूप से अनिर्दिष्ट सेवाएं जिनके साथ सेवा बिल नहीं लगे थे, के लिए ₹ 2.51 करोड़ के नकदी में अर्जित विदेशी मुद्रा के माध्यम को पूरा किया गया था। ईओ पूर्ति के संबंध में ₹ 2.51 करोड़ की संगणित राशि क्रम में नहीं थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2017), आरएलए, पूणे ने बताया (जनवरी 2018) कि लाइसेंस धारकों ने ₹2.51 करोड़ के लिए अतिरिक्त विदेशी

[53]होटल एवं रेस्तंरा सेवाएं

आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) प्रस्तुत किए और छूटों को नियमित किया गया।

आरएलए, पूणे अतिरिक्त एफआईआरसी की प्राप्ति पर छूट को नियमित करते समय पूर्व दृष्टांत में ईओं की गलत पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की शास्ति लगाने में विफल रहा।

तथ्य यह है कि लाइसेंस को गलत तरीके से छुड़ाया गया था, और लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता के विषय में बताए जाने के बाद ही विभाग द्वारा एफआईआरसी की मांग की गई जो यह दर्शाता है कि लाइसेंस को छुड़ाने के समय भी कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.3.4 औसत निर्यातों के गलत प्रतिफल के आधार पर लाइसेंसों को छुड़ाना

ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्वों को आवेदक के द्वारा प्रदान की गई विनिर्मित वस्तुओं सेवाओं के निर्यात के माध्यम से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। निर्यात दायित्व दो प्रकार के होते हैं। औसत निर्यात दायित्व (एईओ) जिसमें निर्यात दायित्व के अतिरिक्त समग्र निर्यात दायित्व अवधि के अंतर्गत समान एवं समरूप उत्पादों हेतु पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त निर्यातों के औसत स्तर शामिल होता है। इस प्रकार के औसत समान एंव समरूप उत्पादों हेतु पिछले तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन का अंकगणितीय माध्य होगा। निश्चित निर्यात दायित्व बचाई गई शुल्क राशि का 8 गुणा है, जिसमें प्राधिकार धारक वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूर्ण करेगा - पहला ब्लॉक 6 वर्ष का होगा और दूसरा ब्लॉक 2 वर्ष का होगा।

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में, योजना के तहत लाइसेंस के लिए निर्धारित नियत किया गया निश्चित ईओ समान एवं समरूप उत्पादों हेतु पूर्ववर्ती तीन वर्षा में प्राप्त किए गए निर्यातों के औसत स्तर के अतिरिक्त होगा। लाइसेंस धारक कोप्रत्येक वर्ष निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखते हुए निश्चित ईओ पृथक रूप से प्राप्त करना होता है।

डीजीएफटी की पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी ने अपनी बैठक सं. 5/एम12 दिनांक 9 सितम्बर 2011 के माध्यम से दोहराया था कि पिछले तीन वर्षों के समान और समरूप निर्यातों के औसत को ध्यान में रखते हुए औसत आयात दायित्व (एईओ) को नियत किया जाएगा। यदि इकाई तीन वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है तो एईओ उस इकाई के वर्षों के निर्यात का औसत होगा, जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में थी।

निम्नलिखित मामलों पर ध्यान दिया गया था जिसमें आरए ने गलत तरीके से औसत निर्यातों को माना था और लाइसेंसों को छुड़ाया था:

(i) आरएलए, मुम्बई ने वि.व. 2010-11 और 2011-12 के दौरान अनुरक्षित किए गए विशिष्ट ईओ और एईओ की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक आयातक को जारी किए गए लाइसेंस को छुड़ाया था। विशिष्ट ईओ और एईओ हेतु प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिलों की सूची की जांच इंगित करती है कि ₹ 15.13 करोड़ मूल्य के एफबीओ को शामिल करते हुए की ईओ और एईओ दोनों में 19 शिपिंग बिलों की दो बार गणना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.68 करोड़ द्वारा निवल विशिष्ट ईओ में कमी हुई, और शिपिंग बिलों के दोहरे उपयोग की जाँच किए बिना गलत लाइसेंस को छुड़ाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मई 2017) विभाग ने बताया (मार्च 2018) कि निर्यातक ने एईओ सूची से 19 शिपिंग बिलों को हटा दिया, और अभी भी एईओ ने ₹ 1,126.41 करोड़ के अपेक्षित एईओ से अधिक अनुरक्षित किया हुआ है (फार्म सं. 03/97/021/00940/एएम 09 दिनांक 6 मार्च 2018, अतिरिक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार, मुम्बई)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता के विषय में बताये जाने के बाद ही विभाग द्वारा मामलों पर ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसके विपरित प्रावधानों के बावजूद दो बार इन 19 शिपिंग बिलों को शामिल करने के कारणों के विषय में नहीं बताया गया था।

(ii) आरएलए, मुम्बई ने कपड़ा उद्योग में एक आयातक के लिए ईपीसीजी लाइसेंस (जुलाई 2008) जारी किया और यह मानते हुए कि इकाई तीन वर्षों से अस्तित्व में एईओ लगाया था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि इकाई वि.व. 2006-07 और 2007-08 दो वर्षों ही से अस्तित्व में थी, एईओ तीन वर्षों के बजाय दो वर्षों का औसत होना चाहिए, परिणामस्वरूप ₹ 15.63 लाख द्वारा एईओ का कम निर्धारण हुआ। गलत एईओ के आधार पर 01 नवम्बर 2016 को लाइसेंस को छुड़ाया गया था।

बताए जाने पर आरएलए ने ₹ 46.87 लाख पर एईओ को पुन: नियत किया जिसे फर्म ने अनुरक्षित रखा था।

तथ्य यह है कि इस प्रकार के उदाहरणों से बचने के लिए लाइसेंस जारी करने और ईओ को नियत करने के लिए आरए द्वारा व्यापक सुरक्षा आवश्यक है।

5.3.5 निर्यात दायित्वों का गलत निर्धारण

ईपीसीजी लाइसेंस आठ वर्षों में बचाए गए शुल्क के आठ गुना के बराबर ईओ को प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते है। तथापि, लघु उद्योग (एसएसआई) इकाईयों के मामले में, ईओ कम दर पर नियत किया जाता है, आयात किए गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के छः गुणा के बराबर, बशर्ते ऐसे आयातित का सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो और ऐसे आयातों के बाद संयंत्र और मशीनों में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक नहीं है। यदि आयात का सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक होता है, तो ईओ को बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बजाए 8 गुणा पर नियत किया जाना था।

आरएलए, पुणे ने 12 मई 2008 को ₹69.01 लाख की बचाई गई शुल्क राशि और ₹ 4.14 करोड़ (बचाए गए शुल्क का 6 गुणा) के ईओ आठ वर्षों में प्राप्त करने के लिए एक आयातक को प्राधिकार जारी किया था। चूंकि प्राधिकार के माध्यम से मांगा गया आयात ₹ 50 लाख की सीमा से अधिक था, एसएसआई इकाई का लाभ अर्थात् बचाए गए शुल्क का 6 गुणा आयातक के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की मूल्यराशि द्वारा अर्थात दो गुणा ईओ का कम निर्धारण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आरएलए ने मांग सह एससीएन जारी करने के विषय में बताया (सितम्बर 2017)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)। डीओआर ने बताया कि पैराग्राफ डीजीएफटी से संबंधित थे।

समग्र लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक के द्वारा ईपीसीजी की शर्तों को पूरा किए बिना ₹ 306 करोड़ के लाभ लिए गए थे। निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं होना, ईपीसीजी लाइसेंस को अनियमित जारी करने के मामलों में चूक कर्ताओं पर विलंब से कार्रवाई करना, निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण और प्राधिकार की अनियमित छूट जैसे मुद्दों ने बहुत से मामलों में इस योजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना जारी रखा।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने निर्यात दायित्वों की पूर्ति नहीं होना स्वीकार किया और कि 206 मामलों में कार्रवाई की गई है एससीएन/ मांग पत्र/ शुल्क मांग की पुष्टि करके और वसूली करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में बताया (मई 2019)। 40 मामलों में, डीओआर ने बताया कि सीमा-शुल्क के पास प्राधिकरण के पंजीकरण के विषय में ब्यौरें नहीं हैं और डीजीएफटी से लाइसेंस के ब्यौरे मांगे गए है। डीजीएफटी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2019)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने ईपीसीजी योजना के तहत प्राप्त लाभ के लिए निर्यात दायित्व का अनुसरण नहीं होने के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की कि यह एक सतत् समस्या है इस प्रकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए अनुमत शुल्क लाभों के प्रभाव को इस सीमा तक अमान्य ठहराया गया कि निर्यात दायित्वों निरर्थक हो गए थे। इसके अतिरिक्त, उन मामलों के विषय में मंत्रालय की प्रतिक्रिया जहां प्राधिकरण के पंजीकरण के ब्यौरे उनके पास उपलब्ध नहीं थे, ने सीमा शुल्क और डीजीएफटी प्राधिकरणों के बीच कमजोर मॉनीटरिंग और सूचना का आदान-प्रदान करने वाले तंत्र को इंगित किया, चूंकि डीजीएफटी द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक ईपीसीजी लाइसेंस सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किया जाना है इससे पहले कि इन लाइसेंसों के तहत आयात हो सके।

डीओआर ने चूककर्ता मामलों का पता लगाते समय कमजोर सूचना आदान-प्रदान करने वाले तंत्र के विषय में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए बताया कि सीमा-शुल्क ईडीआई प्रणाली ईपीसीजी योजना के तहत किए गए निर्यात हेतु डीजीएफटी के साथ नियमित आधार पर शिपिंग बिल के डेटा साझा कर रही है। डीजीएफटी के साथ सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं द्वारा अभी तक की गई मॉनीटरिंग और समन्वय के संबंध में, आरएलए के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु क्षेत्र संरचनाओं के लिए और जहां अवधि समाप्त हो गई हो के लिए वहाँ ईओ की पूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक त्रैमासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश/ परिपत्र (जनवरी 2011/अप्रैल 2015/अक्टूबर 2016/मई 2017) जारी किए गए थे।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने वस्तु स्थिति का समर्थन नहीं करता जो दर्शाता है कि निर्देशों को जारी करने और ईओ की पूर्ति के मामलों का पता लगाने हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करने के बावजूद सीमा-शुल्क क्षेत्र संरचनाओं ने ईओ अवधि से निर्धारित तीन महीनों की समाप्ति के बाद अपनी ओर से वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नमूना जांच किए गए मामलों में वसूलियों हेतु कार्रवाई शुरू की गई थी।

5.4 अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

जुलाई 2014 से फरवरी 2017 के बीच संव्यवहारों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) मंजूरी पर शुल्क का कम उद्ग्रहण, न्यूनतम मूल्य संवर्धन की प्राप्ति नहीं होना, फिरती की वसूली नहीं होना जहां निर्यात आय की वसूली नहीं की गई है, देर से की गई कटौती का अधिरोपण नहीं होना/कम होना, अतिरेक क्रेडिट का भुगतान और

समय पर दावों पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान के संबंध में अनियमिताएं देखी गई थी।

इन 39 मामलों में शामिल कुल राजस्व निहितार्थ ₹ 40.51 करोड़ था जहां विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) या हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क में छुटों का लाभ लिया गया था। इनमे से सात मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹19.04 करोड़ के राजस्व सहित जो विभाग के द्वारा स्वीकार किए गए 32 मामले और वसूली की गई/शुरू की गई वसूली की कार्रवाई के विषय में **अनुलग्नक-11** में उल्लिखित बताया गया है।

निर्यात उन्मुख इकाईयां (ईओयू)

5.4.1 डीटीए में प्रतिबंधित वस्तुओं की मंजूरी

विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (एच) के अनुसार, निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में उत्पादों का विक्रय कर सकती है, विकास आयुक्त की सूचना के तहत और पूर्ण शुल्कों के भुगतान के लिए, जो एफटीपी के तहत स्वतंत्र रूप में आयात करने योग्य[54] है, बशर्ते उनके द्वारा सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया गया है। काली मिर्च और काली मिर्च उत्पादों और संगमरमर के मामले में डीटीए विक्रय अनुमेय नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी अधिसूचना सं. 38-आरई/ 2013 दिनांक 26 अगस्त 2013 के अनुसार, ग्रेनाइट (आईटीसीएच कोड़ 68029300) स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हैं यदि सी.आई.एफ[55] का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 80 यूएसडी या इससे अधिक है।

कच्छ कमीश्नरी (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीजीएसटी) के तहत एक ईओयू ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान डीटीए में ₹7.59 करोड़ मूल्य के 12949 वर्ग मीटर की ग्रेनाइट स्लैब और टाइलों की मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डीटीए में मंजूर किए गए ग्रेनाइट स्लैब का मूल्य क्रमश: वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए यूएसडी 39.96 और यूएसडी 34.14 प्रति वर्ग मीटर था, जो कि उपरोक्त डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा निर्धारित 80 यूएसडी प्रति वर्ग मीटर से कम था, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से आयात योग्य उत्पादों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप

[54]वस्तुए स्वतंत्र रूप से आयात योग्य होती है जब देश में आयात एवं निर्यात करने के लिए किसी भी प्राधिकरण या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

[55]सीआईएफ - लागत, बीमा और माल-भाड़ा।

डीटीए क्षेत्र में ₹ 7.59 करोड़ मूल्य के 12949 वर्ग मीटर प्रतिबंधित माल ग्रेनाइट स्लैब और टाइलों की अनियमित मंजूरी दी गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (जनवरी 2019) कि जनवरी 2019 में जारी किया गया कारण बताओं नोटिस अधिनिर्णय के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं (आईईआईएस)

5.4.2 निर्यातित वस्तुओं के पुन: आयात पर दिए गए लाभों को पुनर्प्राप्त करने के प्रावधान की कमी

दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94/1996-सीमा-शुल्क के अनुसार, निर्यातित माल का शुल्क मुक्त पुन: आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय है:

i. यदि संघ द्वारा लगाए गए सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्कों की प्रति अदायगी के दावों के तहत माल का निर्यात किया गया था, तो सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्कों की प्रति अदायगी राशि का पुन: भुगतान किया जाता है।

ii. यदि निर्यातित माल उत्पाद शुल्क में छूट के दावे के अंतर्गत था या उत्पादन शुल्क के भुगतान के बिना बांड के तहत् था, तो उत्पाद शुल्क की राशि का भुगतान किया जाता है।

iii. यदि निर्यातित माल, शुल्क रियात पास बुक (डीईपीबी) योजना के तहत थे तो आयात पर देय उत्पाद शुल्क की राशि साथ ही निर्यात के समय पर आयात की गई सामग्री के लाभ पर अनुमत प्रति अदायगी की राशि इस शर्त के तहत उद्ग्राहय योग्य है कि आयातक आयात किए गए माल पर अनुमत डीईपीबी क्रेडिट की राशि के बराबर राशि के डेबिट हेतु निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष डीईपीबी स्क्रिप प्रस्तुत करता है जिसका आयात किया जा रहा है।

शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यातित माल हेतु शिपिंग बिलों के मामले में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा भुगतान किए गए प्रति अदायगी के अलावा, विदेशी व्यापार, महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एफटीपी के अध्याय-3 के अंतर्गत प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाओं के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप अनुमत किया, जो माल के आयात पर सीमा-शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए है। यदि शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यात किए गए माल दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94-1996 सीमा-शुल्क के तहत पुन: आयात किए जाते हैं, तो पुन: आयातित माल में शामिल शुल्क वापसी की वसूली हेतु अधिसूचना में प्रावधान हैं। परन्तु प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत

डीजीएफटी द्वारा स्वीकृत शुल्क क्रेडिट की वसूली करने के लिए अधिसूचना में कोई प्रावधान नहीं है।

चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई एयर सीमा-शुल्क, तुतीकोरीन समुद्री सीमा शुल्क और आईसीडी सेंट जोनएस, तुतीकोरीन के माध्मय से दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना संख्या 94-1996-सीमा शुल्क के तहत वर्ष 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आयातित माल हेतु आगम-पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जब भी शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यातित माल पुन: आयात किए गए थे तो केवल निर्यातक को भुगतान की गई शुल्क वापसी वसूल की गई थी। एफटीपी के अध्याय-3 के तहत पुरस्कार एंव प्रोत्साहन योजनाओं के तहत दिया गया शुल्क क्रेडिट वसूल नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए मामलों में डीजीएफटी ईडीआई डेटा के साथ पुन: आयातित माल के शिपिंग बिलों की प्रति जांच से पता चला कि पुन: आयातित 376 मामलों में आरएलए, चेन्नई ने एफटीपी के अध्याय 3 के तहत ₹ 1.25 करोड़ के शुल्क क्रेडिट के लाभ अनुमत किए गए थे, जिनको पूर्वोक्त अधिसूचना में प्रॉवधान के अभाव में वसूल नहीं किया जा सका।

मामले के विषय में जून 2017 में संबंधित सीमा शुल्क कमिश्नर को अवगत कराया गया था। तुतीकोरिन सीमा शुल्क, कमिश्नरी ने यह स्वीकार करते हुए कि एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था, हालांकि, दो आयातकों के संबंध में ब्याज के साथ प्राप्त ऐसे क्रेडिट की वसूली के विषय में बताया जिसकी राशि (मार्च 2018) ₹ 0.73 लाख थी। सीमा शुल्क (वायु) चेन्नई ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2018) कि फर्मों को मांग नोटिस जारी किए गये हैं। अन्य कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.3 अयोग्य निर्यातक को गलत लाभ दिया गया

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.5 के अनुसार दिनांक 18 अप्रैल 2013 की अधिसूचना सं. 3 (आरई-2013) 2009-14 देखिए जिसमें सम्मिलित किया गया कि वृद्धिशील निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (आईईआईएस) शुरू की गई थी। योजना के तहत, एक आईईसी धारक पिछले वर्ष (2012-13) के निर्यातों की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान एफओबी मूल्य की शर्तों में निर्यातों के संदर्भ में (आईईसी धारक के द्वारा प्राप्त) वार्धिक वृद्धि के दो प्रतिशत की दर पर शुल्क केडिट स्क्रिप का हकदार था। निर्यात जो न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अंतर्गत हैं, आईईआईएस लाभों के अनुदान के लिए अयोग्य हैं

(दिनांक 25 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 43 (आरई 2013) 2009-14 देखिए)।

विदशी व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीएफटी) कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2012-13 (57 एसबी) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 (57 एसबी) में वार्धिक वृद्धि हेतु आईईआईएस के तहत एक निर्यातक के लिए ₹36.37 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (जनवरी 2015) जारी किया गया था। हालांकि, वर्ष 2012-13 से संबंधित पांच शिपिंग बिलों की संवीक्षा से पता चला कि सभी बिल बांग्लादेश को निर्यात किए गए डी-ऑयल राइस ब्रान से संबंधित थे और सभी मामलों में निर्यात शुल्क का भुगतान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 में निर्यातक ने कोई योग्य निर्यात नहीं किए थे और परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 हेतु आईईआईएस के तहत लाभ देना अनुचित था अत: ₹ 36.37 लाख की राशि के इस मामले में दिया गया क्रेडिट शुल्क गलत/ अनुचित था।

यह सितम्बर 2018 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

भारत योजना से पोषित (एसएफआईएस)

5.4.4 सम्मिलित कर की कटौती नहीं होने के कारण अतिरिक्त क्रेडिट का अनुदान

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.2 और 3.12.4 के अनुसार, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) खंड-I (2009-14) के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के भारतीय सेवा प्रदाता अर्जित विदेशी मुद्रा पर एसएफआईएस स्क्रिप लेने हेतु पात्र होगें। एचबीपी, खंड-I (2009-14) का पैराग्राफ 3.6.1 में यह प्रावधान है कि सेवाओं के प्रतिपादन हेतु अर्जित किए गए विदेशी मुद्रा प्रेषण को पात्रता के लिए सगणित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, डीजीएफटी व्यापार सूचना सं. 11/2015-20 दिनांक 21 जुलाई 2016 में स्पष्ट किया गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता से संग्रहित सरकारों को देय राज्य/ केन्द्रीय कर, सेवा प्रदाता की आय नहीं है और इसलिए पात्रता को तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

होटल एवं पर्यटन संबंधी सेवाओं में लगे हुए सेवा प्रदाताओं के लिए जेडीजीएफटी, कोचीन और जेडीजीएफटी, तिरूवंतपुरम द्वारा जारी किए गए एसएफआईएस स्क्रिप की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि, एसएफआईएस क्रेडिट स्क्रिप संस्वीकृत करते समय, सेवाओं के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक में शामिल सेवा प्रदाता द्वारा संग्रहित कर नामत: सेवा कर (12.36 प्रतिशत),

विलासिता कर (12.5 प्रतिशत) और खाद्य प्रदार्थों पर वैट (14.5 प्रतिशत) की सकल विदेशी मुद्रा अर्जित से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कोचीन (चार लाइसेंस) और तिरूवनंतपुरत (छः लाइसेंस) में दोनों जेडीजीएफटी कार्यालयों के द्वारा कुल ₹ 60.80 लाख के अतिरिक्त ऋण दे दिया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, डीएफजीटी, नई दिल्ली ने सेवा प्रदाताओं से ब्याज सहित ₹33.49 लाख की वसूली के विषय में (अगस्त 2018/मार्च 2019) बताया था। एक सेवा प्रदाता का नाम अस्वीकृत प्रविष्टि सूची (डीईएल) में रखा गया था, जबकि एक सेवा प्रदाता ने विरोध के तहत ₹9.93 लाख मूल्य के दो स्क्रिप का अभ्यर्पण कर दिया और केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5 अन्य अनियमितताएं:

5.4.5.1 दायित्वों का गलत निर्वहन

विदश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 5.7 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्यातों के मामले में, निर्यात दायित्व वास्तविक शुल्क की बचत राशि के संदर्भ में गणना की जाएगी, जबकि पूंजीगत वस्तुओं की घरेलु सोर्सिंग के मामले में निर्यात दायित्व को फ्री ऑन रोड (एफओआर)[56] मूल्य बचाए गए आनुमानिक सीमा शुल्क के संदर्भ में संगठित माना जाएगा।

चार आयतकों को जारी किए गए 20 ईपीसीजी प्राधिकार में, जहां आरएलए, अहमदाबाद में निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया गया, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 प्राधिकारों में, आवेदकों ने प्राधिकार को अमान्य कर दिया चूंकि प्रत्यक्ष आयातों का हालांकि पूंजीगत वस्तुओं को स्वदेशी रूप से स्रोत बनाया गया था। दस्तावेजों की संवीक्षा पर, यह पाया गया कि आरएलए ने पूर्वोक्त एफटीपी के पैराग्राफ 5.7 के तहत आपेक्षित रूप से आनुमानित सीमा-शुल्क के बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में शुल्क की बचत के बाद घरेलु अधिप्राप्ति की अनुमति देने वाले लाइसेंसधारियों के लिए उनके निर्यात दायित्व को निर्वहन करने की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.38 करोड़ पर निर्यात दायित्व की कम पूर्ति हुई।

इस विषय में बताए जाने पर डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा कि एक मामले में ईओ के पुन: निर्धारण हेतु प्रस्तुत संसोधित पत्रों की जांच की जा रही है। शेष

[56]एफओआर सड़क पर भाड़ा है जिसे फ्री ऑन रोड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्रेता/ ग्राहक को किसी भी परिवहन शुल्क के बिना आपूर्तिकर्ता से ग्राहक तक माल परिवहन में होने वाली लागत।

तीन मामलों में फर्मों को संशोधित ईओ की पूर्ति के विषय में बताने के लिए कहा गया। अननुपालन के मामले में, एफटीडीआर अधिनिमय के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5.2 देरी से की गई कटौती को नहीं लगाना/कम लगाना

हैंडबुक ऑफ प्रासीजर्स (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.6 (बी) में निर्धारित किया गया है कि शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन संबंधित माह/तिमाही/ छमाही वर्ष/वर्ष के अंत से 12 महीने के अंदर भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, एचबीपी, 2009-14 खंड-I के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, जब कभी भी देय तिथि के समाप्त आवेदन प्राप्त होता है, इस प्रकार के आवेदन को लागू होने के बाद 2/5/10 प्रतिशत की दर पर देर से की गई कटौती के अधिरोपण के बाद लगाया गया माना जा सकता है।

केन्द्रीय बाजार योजना (एफएमएस), वाईकेजीयूवाई, भारतीय योजना द्वारा सेवारत, वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना और उत्पादन केन्द्रीय योजना के ₹ 46.11 करोड़ के कुल मूल्य के साथ 864 लाइसेंसों में से, वर्ष 2016-17 के दौरान संयुक्त निदेशक विदेश व्यापार जयपुर द्वारा जारी किये गऐ थे; लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 6.71 करोड़ मूल्य के 107 लाइसेंसों की नमूना जांच की गई और पाया गया कि 23 आवेदनों (28 लाइसेंसधारकों) में उपरोक्त योजनाओं के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किए गए थे परन्तु क्रेडिट स्क्रिप देरी से की गई कटौती के बिना/कम अधिरोपण के जारी किए गए/प्रदान किए गए थे/इसके अलावा, पांच मामलों में एफपीएस/एफएमएस के तहत क्रेडिट स्क्रिप समय बाधित शिपिंग बिलों पर जारी किए गए/प्रदान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के लिए जारी किए गए कुल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर ₹ 20.65 लाख की राशि की देरी से की गई कटौती का अधिरोपण नहीं/कम हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर, जीडीएफटी ने टिप्पणियों को स्वीकार करते समय 26 लाइसेंस धारकों से ₹20.65 लाख की वसूली के विषय में सूचित किया (सितम्बर 2018), कि मैसर्स ए एक्सप्रोर्ट्स को एससीएन जारी किया और मैसर्स बी ट्रैडिंग कंपनी को अंस्वीकृत सत्व सूची (डीईएल) के तहत रखा गया था, आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5.3 समय बाधित दावों पर शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान

हैंडबुक ऑफ प्रासिजर्स (एचबीपी), 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.9 के अनुसार, एफटीपी के अध्याय 3 के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्यात की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तिथि से छह महीने के अंदर या शिपिंग बिलों के मुद्रित होने/जारी करने की तिथि से तीन महीनों के अंदर, या जो भी बाद में हो, दायर किया जाएगा। इसके अलावा एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, कोई भी आवेदन, जो अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है, उस पर 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से देरी से की गई कटौती का अधिरोपण करने के बाद आवेदन पर विचार किया जा सकता है अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद परन्तु छ: महीनों के अंदर, छ: महीने की तिथि के बाद प्राप्त हुआ आवेदन परन्तु एक वर्ष के बाद नहीं और क्रमश: आवेदन 12 महीने के बाद प्राप्त हुआ हो परन्तु 2 वर्ष के बाद प्राप्त नहीं हुआ हों।

तीन निर्यातकों को वीकेजीयूवाई, एफपीएस और एफएमएस योजनाओं के तहत ₹ 25.53 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप आरएलए अहमदाबाद द्वारा एफटीपी के अध्याय 3 के तहत देर से की गई कटौती के अधिरोपण के बाद (मई से नवम्बर 2014) जारी किए गए थे यद्यपि निर्यातों की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद और एचबीपी 2009-14 के साथ पठित उपरोक्त पैराग्राफ 3.11.9 के तहत निर्धारित की गई वसूली की तिथि से ढाई वर्षों के बाद आवेदन जमा किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप समय बाधित दावों पर ₹ 25.53 लाख के अनियमित शुल्क क्रेडिट दिए गए।

इस विषय में बताए जान पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने टिप्पणी को स्वीकार करते समय (नवम्बर 2018/जुलाई 2019) में बताया कि फर्मों द्वारा ₹ 30.62 लाख की राशि के शुल्क के साथ ब्याज का भुगतान किया गया।

5.5 निष्कर्ष

निर्यात दायित्व की निरंतर पूर्ति नहीं होना, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अपेक्षित निर्यात निष्पादन के साथ मिलान किए गए निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की गई थी, जो डीजीएफटी में उपलब्ध नहीं थी। सरकार, लेखापरीक्षा में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं होने के सभी मामलों की समीक्षा कर सकती है अपने आईटी प्लेटफार्मों के माध्यम से और निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के

कार्यान्वयन में कमियों को दूर करके दोनों के माध्यम से मॉनीटरिंग तंत्र मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है।

37 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा जांच से निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने से संबंधित विदेशी व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांतों का पता चला उपरोक्त पैराग्राफों में इंगित मामले लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर निदर्शी हैं और नियमों और प्रक्रियाओं के इसी प्रकार के उल्लंघन और लाइसेंसो को जारी करने अथवा निर्वहन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई भूल-चूक से इनकार नही किया जा सकता है। विभाग को ईपीसीजी एंव अन्य योजनाओं की शर्तों की पूर्ति नहीं होने के सभी मामलों की समीक्षा करने का सुझाव दिया जाता है।